

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-75/2024 दिनांक 15.03.2024)
दिनांक-15.03.2024 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

अवैध शराब की बिक्री/परिवहन/निष्कर्षण के विरुद्ध की गयी कार्यवाही- (05)

थाना तमकुहीराज-

थाना तमकुहीराज पुलिस द्वारा 02 नफर अभियुक्तों 01. गुड्डू शर्मा पुत्र स्व0 राम सागर शर्मा साकिन पकड़ी डीह थाना कटया जनपद गोपालगंज बिहार, 02. धनंजय कुशवाहा पुत्र बृज किशोर कुशवाहा साकिन परसौनी थाना कटया जनपद गोपालगंज बिहार को 02 अलग-अलग प्लास्टिक के झोले में कुल 66 शीशी देशी शराब बन्टी बबली के साथ गिरफ्तार कर स्थानीय थाने पर मु0अ0सं0 64/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना हनुमानगंज-

थाना हनुमानगंज पुलिस द्वारा 03 नफर अभियुक्तों 1. संजीव जायसवाल पुत्र गनेश जायसवाल सा0 मुजिला थाना रामनगर जिला पश्चिमी चम्पारण बिहार, 02. प्रिंस कुमार जायसवाल पुत्र सुखदेव जायसवाल सा0 मुजिला थाना रामनगर जिला पश्चिमी चम्पारण बिहार, 03. चन्दन कुमार पुत्र शत्रुघन कुमार सा0 मुजिला थाना रामनगर जिला पश्चिमी चम्पारण बिहार को 55 अदद फ्रुटी 8PM अवैध अंग्रेजी शराब प्रत्येक मे 180ML के साथ गिरफ्तार कर स्थानीय थाने पर मु0अ0सं0 29/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना कोतवाली पडरौना पुलिस द्वारा एक अदद महिन्द्रा बोलेरो पिकअप वाहन से तस्करी कर वध हेतु ले जायी जा रही 08 राशि गोवंश के साथ एक पशु तस्कर को किया गया गिरफ्तार -

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में गोवंशो की तस्करी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 15.03.2024 को थाना कोतवाली पडरौना की पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त मुस्तफा अंसारी पुत्र स्व0 असगर अंसारी निवासी दहवा थाना धनहा जिला पश्चिमी चम्पारण बिहार हाल मुकाम ग्राम सौरहा खुर्द टोला दुबरहा थाना नेबुआ नौरंगिया जिला कुशीनगर कर गिरफ्तार कर मौके से

एक अदद महिन्द्रा बोलेरो पीकअप वाहन से तस्करी कर वध हेतु ले जायी जा रही 08 राशि गोवंश बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर सम्बन्धित थानें पर मु0अ0सं0 146/2024 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 146/2024 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम

गिरफ्तार अभियुक्त-

मुस्तफा अंसारी पुत्र स्व0 असगर अंसारी निवासी दहवा थाना धनहा जिला पश्चिमी चम्पारण बिहार हाल मुकाम ग्राम सौरहा खुर्द टोला दुबरहा थाना नेबुआ नौरंगिया जिला कुशी नगर

बरामदगी का विवरण-

1. 08 राशि गोवंश (06 राशि गाय, 02 राशि बछड़ा)
2. एक अदद महिन्द्रा बोलेरो पीकअप वाहन (बिना नम्बर प्लेट) चेसिस नं0 MA1ZN2TTKP1G60161

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 श्री सुशील कुमार शुक्ला थाना कोतवाली पडरौना कुशीनगर
2. उ0नि0 श्री गौरव कुमार वर्मा चौकी प्रभारी बांसी थाना को0 पडरौना
3. हे0का0 सुनील सिंह थाना को0 पडरौना कुशीनगर
4. हे0का0 देवेन्द्र यादव थाना को0 पडरौना कुशीनगर
5. हे0का0 बाबूराम थाना को0 पडरौना कुशीनगर
6. का0 ज्ञान प्रकाश सूर्यवंशी थाना को0 पडरौना कुशीनगर

थाना कोतवाली पडरौना पुलिस द्वारा दुष्कर्म आदि के मुकदमे में वांछित एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 15.03.2024 को प्र0नि0 श्री सुशील कुमार शुक्ला थाना कोतवाली पडरौना मय पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 286/2022 धारा 363,366,376 भा0द0वि0 व 5/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त मुकेश यादव पुत्र छट्टू यादव साकिन बलडीहा थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गयी।

गिरफ्तारी के बाद अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 286/2022 धारा 363,366,376 भा0द0वि0 व 5/6
पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

मुकेश यादव पुत्र छट्टू यादव साकिन बलडीहा थाना तुर्कपट्टी जनपद
कुशीनगर

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 श्री सुशील कुमार शुक्ला थाना कोतवाली पडरौना जनपद
कुशीनगर
2. उ0नि0 श्री बृजेश यादव थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
3. म0का0 प्रियंका पटेल थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
4. का0 ओमप्रकाश यादव थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर

***थाना रामकोला पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया
गिरफ्तार-***

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में
वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के
क्रम में दिनांक 14.03.2024 को थाना रामकोला पुलिस टीम द्वारा 01
नफर वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक
कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0नं0 2832/17 धारा 308 भादवि0

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त-

अरमान पुत्र सुलेमान साकिन कस्बा रामकोला वार्ड न0 12 थाना
रामकोला जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 श्री विनय सिंह थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 दिनेश यादव थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
3. का0 शिवबदन यादव थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

थाना तरया सुजान पुलिस द्वारा एक प्लास्टिक के बोरे में 08 पेटी देशी शराब (कीमत लगभग 16 हजार रुपये) के साथ एक शराब तस्कर को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अवैध शराब की बिक्री/परिवहन/निष्कर्षण के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 15.03.2024 को थाना तरया सुजान पुलिस की टीम द्वारा 08 पेटी देशी शराब ट्रेटा पैक (कीमत लगभग 16,000/- रुपये) के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर स्थानीय थाने पर मु0अ0सं0-93/2024 धारा 60 आबकारी अधि0 में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0- 93/2024 धारा 60 आबकारी अधि0

गिरफ्तार अभियुक्त-

सुबाष सिंह पुत्र स्व0 रामएकबाल सिंह ग्राम बाघाचौर थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

बरामदगी का विवरण-

एक प्लास्टिक के बोरे में 08 पेटी देशी शराब ट्रेटा पैक कुल मात्रा 72 लीटर (कीमत लगभग 16,000/- रुपये)

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. प्र0नि0 आशुतोष सिंह थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 मृत्युजय सिंह थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
3. का0 रिषु यादव थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
4. का0 आदित्य प्रताप सिंह थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

थाना सेवरही पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 15.03.2024 को थाना सेवरही पुलिस द्वारा मु0नं0 1564/23 मु0अ0सं0 381/23 धारा 504,506,376 भादवि से सम्बन्धित वारन्टी पतिराम निषाद पुत्र स्व0 ज्योतिक निषाद सा0 परसा

उर्फ सिरसिया थाना सेवरही जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पंजीकृत अभियोग-

मु0नं0 1564/23 मु0अ0सं0 381/23 धारा 504,506,376 भादवि

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त-

1-पतिराम निषाद पुत्र स्व0 ज्योतिक निषाद सा0 परसा उर्फ सिरसिया थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—

1-SHO श्री दिग्विजय नारायण राय थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

2-उ0नि0 सुजीत कुमार चौकी प्रभारी पिपराघाट थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

3-का0 संजय यादव थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

थाना तरया सुजान पुलिस द्वारा गौ-तस्करी करने वाले गैंग के 03 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट में की गयी कार्यवाही-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में जनपद कुशीनगर में कानून व्यवस्था को और सुदृढ बनाये जाने व अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 15.03.2024 को गोरखपुर से बिहार व अन्य जगहो पर गोवंशी पशुओं की तस्करी करने वाले गैंग के 03 अभियुक्तों 1-मो0 विलाल पुत्र अजीज नि0 वार्ड नं0 17 लालबाग कनेटा रोड हसनपुर कोतवाली हसनपुर जनपद अमरोहा ज्योतिबा फूलेनगर तथा गैंग के साथी 2-जुनैद उर्फ जुबैद पुत्र तौफीक साकिन अन्जुम पैलेस थाना बैरमपुरा जनपद मेरठ, 3-नसीम पुत्र अलीराज साकिन रावतपुर थाना काँट जनपद शाहजहाँपुर के विरुद्ध थाना पुलिस द्वारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त अभियुक्तगणों द्वारा अपने व अपने परिवार एवं सगे संबंधियों/ गैंग सदस्यों के लिए आर्थिक व भौतिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पश्चिमी उत्तर प्रदेश व अन्य जगहो से पशुओं (गाय, बैल, साड़ व बछड़ो) की गौ-तस्करी करने जैसे जघन्य अपराध कारित किया जाता है दिनांक- 03.02.2024 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा इस गिरोह को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 30 राशी गोवंशीय पशु व एक अदद कंटेनर बरामद किया गया था। जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर

अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 43/2024 धारा 307 भादवि व धारा 3/5ए/5बी/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 व धारा 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत है। गैंग मो0 विलाल उपरोक्त नें अपने अन्य सदस्यों के साथ मिल कर गौ-तस्करी करने जैसे जघन्य अपराध कारित करते है। यह गिरोह संगठित होकर अपने व अपने अन्य साथियो के लिए आर्थिक /भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश से गौ-तस्करी का कार्य करता है एवं अवैध सम्पत्ति अर्जित कर लिये जिनके विरुद्ध आज थाना स्थानीय पर 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी।

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 37 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में =

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान- 00 वाहन
- 2- 107/116 में की गयी कार्यवाही-मु0-53, व्यक्ति-151
- 3- वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(10)
- 4- जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-47)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर

